रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 1971/कार्तिक 27, 1893

No. 198] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 1971/KARTIKA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th Novermber 1971

SUBJECT.—*Conditions for licensing imports under the Belgian Government Credit*—1971-72.

No. 159-ITC(PN)/71.—The conditions for licensing Private Sector/Public Sector imports under the Belgian Government Credit—1971-72, as given in the Appendix I and II to this Public Notice, are notified for the information of the trade.

APPENDIX I

Conditions for Licensing Private Sector Imports under the Belgian Government Credit—1971/72.

1. The licence will be issued with a validity period of twelve months but firm orders on C.I.F./C.&.F. basis must be placed on the Balgian Suppliers and copies of the same furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs within four months from the date of issue of the import licence. In cases where orders have not been placed within the period of 4 months, the licences should apply to the Chief Controller of Imports & Exports for suitable extension in the period of ordering giving adequate justification for delay in placing orders. Such requests will be considered on merits by Chief Controller of Imports & Exports in consultation with Ministry of Fiance (Department of Economic Afiairs). However, no import licence shall be made valid or revalidated beyond the 31st December, 1972. The licence codes "S" and "BE" should be indicated in the first and second suffix after the licence number. The correct licence code should be used in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Indian Bank at the time of rupee deposits.

2. Only goods of Belgian origin are eligiable for being finaced under this Credit.

3. The licence will not be valid for remittances from India. Payments to the Belgian Suppliers can be made only in accordance with the procedure set forth in paragraphs 6-10 below.

4. The contract of supply between the Indian Importer and the Belgian Supplier should provide for the import being financed out of the Belgian Government Credit in accordance with the procedures set forth in these Licensing Conditions, and should also be made subject to approval by the Government of India. Importers should take special care to inform the Suppliers about this condition and also *incorporate a clause to this effect in the supply contract.* Moreover approved orders should not be cancelled without prior concurrence the Ministry of Finance Department of Economic Affairs.

N. B.—Licences issued before the Credit Agreement between Government of India and Belgium for 1971-72 is signed will be subject to the following further conditions:—

(a) contracts between the Indian Importers and the Belgian exporters against the prospective Belgian Credit will be subject to the approval of the Government of India and the Government of Belgiam;

(b) contracts against the prospective credit betwen Indian importers and Belgian exporters would to treated as provisional and would become final only after the loan agreement is actually signed;

(c) a copy each of the contracts will be forwarded by the Government of India to the Government of Belgium, Ministry of Foreign Affairs and External Trade, as soon as the contracts are signed and.

(d) payments against the said contracts will normally be made only after the loan agreement is signed and necessary funds are credited to Government of India's account with the National Bank of Belgium.

5. The value of the contract should be expressed in Belgian Francs. The contract should normally provide for cash payment out of the Belgian Government Credit on presentation of shipping documents. For any customary performance guarantee, the Suppliers could be asked to furnish a bank guarantee.

6. As soon as possible after the contracts are concluded, the importer should request the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E. III Section to issue a Letter of Authority for payments to the Belgian Suppliers. This request should be accompanied by four photostat/certified copies of the Contract/Supply

Order and Bank Guarantee as required in paragraph 8 hereunder. The following information should also be sent to the Department of Economic Affairs along with the contracts/supply order—

(i) Details of the Import licence—

(a) Number.....

(b) Date of issue.....

(c) Value.....

(ii) Name and Address of the Importer.....

(iii) Name and Address of the Importer.....

(iv) Value of the contract/order in Belgian Francs.....

(v) Short description of the goods to be imported.....

(vi) Time for delivery (A schedule indicating probable dates and amounts of payments to the Supplier may also be given).

(vii) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading Invoices, Certificate of Origin, etc., which the National Bank of Belgium should demand from the Suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.....

(viii) Indian Agents Commission, if any, included in the contract (Amount or percentage to be indicated).....

(ix) Special instructions, if any.....

7. On receipt of the copies of the contract/supply order, the Bank Guarantee and the information required in paragraph 6 above, the Department of Economic Affairs will forward a copy of the contract to the Belgian Ministry of Foreign Affairs and External Trade together with number and date of issue of the Import licence by the appropriate import licensing authority in India and the nature of the goods to be supplied and also issue a letter of authority to the National Bank of Belgium (in the form at Annexure-I) authorising payment to the suppliers against shipping documents. All payments will have to be completed by 31st December, 1972 and no payment beyond this date will be authorised.

8. The importers will have to deposit:—

(i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Belgian Francs at the composite rate which is currently one Belgian Franc—0.152 Indian Rupees. Any revision in the composite rate will be advised to the Importers/their bankers by the Department of Economic Affairs as and when it takes place;

(ii) a fixed charge of five (5) per cent of (i) above to cover incidental and commitment charges; and

(iii) interests at the rate of six per cent per annum on the amounts required to be deposited at items (i) and (ii) above from the date of actual payment to the supplier by the National Bank of Belgium to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

The importers will be required to furnish a bank guarantee from an approved scheduled bank in the form attached (Annexure II) agreeing to deposit the amounts specified in paragraph 7 above. The footnote under the Bank Guarantee form should be noted for strict compliance.

N.B.—Importers should note that after payment to the Belgian Suppliers, the Belgian National Bank will send the documents to the Bank from which the importers produce the Bank Guarantee and that that bank will not have authority to release the documents to the importer until the rupees have been deposited as indicated above.

9. It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also to get the Exchange Control copy of the licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite 'S' Form as prescribed by the Reserve Bank of India.

10. The moneys specified in paragraph 8 above shall be deposited with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi for credit to the Central Government Accounts under the head of account—

"T-Deposits and Advances—Part II. Deposits not bearing interest—(C) Other deposit Accounts—Departmental and Judicial Deposits—Civil Deposits—Deposits for purchases aboard—Purchases under Credits/Loans Agreements—Deposits for cost of enquipment etc., obtained under the VI Belgian Government Credit 1971-72"

ANNEXURE I

No.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The National Bank of Belgium,
Brussels.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF INDIA AND BELGIUM DATED THE.....FOR THE CREDIT OF.....BELGIAN FRANCS.

LETTER OF AUTHORITY NO.

Sir,

In accordance with the terms and conditions of the above Credit Agreement, we hereby request you irrevocably to pay an amount of BF.....(Belgian Francs.....(in words) to.....(Supplier/the name of the suppliers' Bank, with Account when payment is to be made to the Suppliers' Bankers Number).....against the delivery of the following documents :

Invoice —copies

Bill of Lading (with full details)—copies.

Insurance Policy, if any, etc.—copies

covering the value of Invoice No.....dated.....
Photostat copy attached) relating to Contract No.....dated.....
with.....(Indian Importer) for the supply of.....
.....

2. After payment, the original set of the above documents (in duplicate/triplicate etc.) may kindly be forwarded direct.....(Importers' Bankers in India).

3. The amount paid may please be debited to our Account P No..... opened in the frame of the above-mentioned Credit Agreement and necessary debit advice (in duplicate) forwarded to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Economic Aid (Accounts) Branch, New Delhi duly indicating this Letter of Authority number.

4. This authorisation will remain valid upto the..... day of.....197 .

Yours faithfully,

(Designation)

Copy to.....(The Importer's Bank). They should ensure that the rupee equivalent calculated at the prevailing composite rate which is currently BF 1=Rs. 0.152 as also the additional charge of 5 per cent of the amount so arrived at, together with interest thereon from the date of payment to the suppliers to the date of deposit of the amount into Government Account is deposited before releasing the original documents to the Importers.

ANNEXURE II

Guarantee Bond

(To be furnished by Banks under the procedure for the import of goods under the Belgian Government Credit, 1971-72).

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Belgian Francs for the import of..... by..... (hereinafter called the 'importer) under the terms and conditions of the Belgian Government Credit 1971-72 and in pursuance of Import Licence No..... issued on in favour of the Importer against the above agreement, we.....(Bank) at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the National Bank of Belgium converted at the composite rate of exchange which is currently 1 Belgian France=Rs. 0.152 *within ten days* of the receipt of advice of payment for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by Government of India under the said credit together with the additional charges of 5 per cent of the above deposits to cover incidental and commitment charges, as well as interest at the rate of six per cent per annum on the amounts disbursed to the supplier and the additional charges of 5 per cent from the date of payment to the Belgian supplier to the date of payment of rupee equivalent for credit to the Government Account. The negotiable set of import documents received from the National Bank of Belgium will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We the(Bank) also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sums not exceeding Rs.....or any part thereof for the time being due and payable by the Importer together with the additional fixed charge of 5 per cent (five percent) of the above desposits to cover incidental and commitment charges. The decision of the Government as to any default in the said payment by the Importer or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us.....(Bank, shall be final and binding on us.....(Bank).

3. We..... (Bank) further agree that in case of increase in the value of import or increase in the value of un-fulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change take place in proportion to this change.

4. We.....(Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be effected by any change in the constitution of the Importer or the(Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to pospone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and either to enforce payment by the Importer of any of the amounts the payment whereof is intended to be hereby secured and the.....(Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government, to the Importer or by any matter or thing whatsoever which under the law relating to surities shall, but for this provision, have the effect of so releasing the.....(Bank), from its such liability.

6. We (Bank) undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted to Rs.....(plus interest and commission charges, if any, not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the..... day* of.....(month) 19.... Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto, all Government's rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated the.....day of

For.....(Bank)

Accepted for and on behalf of
the President of India by Shri

.....

Name & Designation

Signature.....

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

NOTE.—The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps.

APPENDIX II

Conditions for Licensing Public Sector Imports under the Belgian Government Credit—1971-72.

1. The licence will be issued with a validity period of twelve months but firm orders on C.I.F./C. & F. basis must be placed on the Belgian Suppliers and copies of the same furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs within four months from the date of issue of the import licence. In cases where orders have not been placed within the period of 4 months, the licencees should apply to the Chief Controller of Imports and Exports for suitable extension in the period of ordering giving adequate justification for delay in placing orders. Such requests will be considered on merits by Chief Controler of Imports and Exports in consultation with Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). However, no import licence shall be made valid or revalidated beyond the 31st December, 1972. The licence codes "S" and "BE" should be indicated in the first and second suffix after the licence number. The correct licence code should be used in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Indian Bank at the time of rupee deposits.

2. Only goods of Belgian origin are eligible for being financed under this Credit.

3. The licence will not be valid for remittances from India. Payments to the Belgian Suppliers can be made only in accordance with the procedure set forth in paragraphs 6—19 below.

4. The contract of supply between the Indian Importer and the Belgian Supplier should provide for the import being financed out of the Belgian Government Credit, in accordance with the procedure set forth in these Licensing Conditions, and should also be made subject to approval by the Government of India. Importers should take special care to inform the Suppliers about this condition and also *incorporate a clause to this effect in the Supply contract.* Moreover, approved orders should not be cancelled without prior concurrence of the Ministry of Finance Department of Economic Affairs.

N.B.—Licences issued before the Credit Agreement between Government of India and Belgium for 1971-72 is signed will be subject to the following further conditions:—

(a) contracts between the Indian Importers and the Belgian exporters against the prospective Belgian Credit will be subject to the approval of the Government of India and the Government of Belgium;

(b) contracts against the prospective credit between Indian importers and Belgian exporters would be treated as provisional and would become final only after the loan agreement is actually signed;

(c) a copy of each of the contracts will be forwarded by the Government of India to the Government of Belgium, Ministry of Foreign Affairs and External Trade, as soon as the contracts are signed; and

(d) payments against the said contracts will normally be made only after the loan agreement is signed and necessary funds are credited to Government of India's account with the National Bank of Belium.

5. The value of the contract should be expressed in Belgian Francs. The contract should normally provide for cash payment out of the Belgian Government Credit on presentation of shipping documents. For any customary performance guarantee, the Suppliers could be asked to furnish a bank guarantee.

6. As soon as possible after the contracts are concluded, the importer should request the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E. III Section to issue a Letter of Authority for payments to the Belgian Suppliers. This request should be accompanied by four photostat/certified copies of the Contract/Supply order. The following information should also be sent to the Department of Economic Affairs along with the contracts/supply order—

(i) Details of the Import licence—

(a) Number.....

(b) Date of issue.....

(c) Value.....

(ii) Name & Address of the Importer.....

(iii) Name & Address of the Belgian Supplier.....

(iv) Value of the contract/order in Belgian Francs.....

(v) Short description of the goods to be imported.....

(vi) Time for delivery (A schedule indicating probable dates and amounts of payments to the Supplier may also be given).

(vii) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc., which the National Bank of Belium should demand from the Suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.....

(viii) Indian Agents' Commission, if any, included in the contract (Amount or percentage to be indicated).

(ix) Branch of the State Bank of India to which the original documents (negotiable) should be sent by the National Bank of Belgium.

(x) Date upto which the letter of authority to the National Bank of Belgium should be made valid.

(xi) Special instructions, if any.

7. On receipt of the copies of the contract/supply order, and the information required in paragraph 6 above, the Department of Economic Affairs will forward a copy of the contract to the Belgian Ministry of Foreign Affairs and External Trade together with number and date of issue of the import licence by the appropriate import licensing authority in India and the nature of the goods to be supplied and also issue a letter of authority to the National Bank of Belgium (in the form at Annexure-I) authorising payment to the supplier against shipping documents. All payments will have to be completed by 31st December, 1972 and no payment beyond that date will be authorised.

8. The importers will have to deposit:—

(i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Belgian Francs at the composite rate which is currently one Belgian France=0.152 Indian Rupee. Any revision in the composite rate will be advised to the Importers/their bankers by the Department of Economic Affairs as and when it takes place;

(ii) a fixed charge of five (5) per cent of (i) above to cover incidental and commitment charges; and

(iii) interest at the rate of six per cent per annum on the amounts required to be deposited at items (i) and (ii) above from the date of actual payment to the supplier by the National Bank of Belgium to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

N.B.—Importers should note that after payment to the Belgian Suppliers, the Belgian National Bank will send the documents to the Branch of the State Bank of India indicated in their application and the State Bank of India will not have authority to release the documents to the importer until the rupees have been deposited as indicated above.

9. It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposit through Authorised Dealers in foreign exchange only and also to get the Exchange Control copy of the licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite 'S' Form as prescribed by the Reserve Bank of India.

10. The money specified in paragraph 8 above shall be deposited under the head of Account—

"T—Deposits and Advances—Part II. Deposits not bearing Interest (O) Other deposit Accounts—Departmental and Judicial Deposits—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad-Purchases under Credits/Loan Agreements—Deposits for cost of equipment, etc., obtained under the VI Belgian Government Credit, 1971-72.

The advice of these deposits should be sent to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, Economic Aid (Accounts) Branch, New Delhi.

In the case of imports by the Departments of Central/State Governments and the State Electricity Boards the debits for the rupee equivalents will be raised against the accounts Officer concerned by Accountant General, Central Revenues on the basis of advices issued by the Department of Economic Affairs—Economic Aid Accounts Branch.

ANNEXURE I

No.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The National Bank of Belgium,
Brussels.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF INDIA AND BELGIUM
DATED THE.....
FOR THE CREDIT OF.....
BELGIAN FRANCS.....

LETTER OF AUTHORITY NO.

Sir,

In accordance with the terms and conditions of the above Credit Agreement, we hereby request you irrevocably to pay an amount of BF..... Belgian Francs..... (in words to(Supplier/the name of the suppliers' bank, with Account when payment is to be made to the Suppliers' Bankers Number)..... against the delivery of the following documents:—

Invoice—copies.

Bill of Lading (with full details)—copies.

Insurance Policy, if any, etc.—copies.

covering the value of Invoice No.....dated..... (photostat copy attached) relating to Contract No..... dated..... with(Indian Importers) for the supply of.....

2. After payment, the original set of the above documents (in duplicate/triplicate etc.) may kindly be forwarded direct to.....(Importers' Bankers in India).

3. The amount paid may please be debited to our Account P .No..... opened in the frame of the above-mentioned Credit Agreement and necessary debit advice (in duplicate) forwarded to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid (Accounts) Branch, New Delhi duly indicating this Letter of Authority Number.

4. This authorisation will remain valid upto the.....day of.....19 .

Yours faithfully,

(Designation).

Copy to the State Bank of India.....They should ensure that the rupee equivalent calculated at the prevailing composite rate which is currently BF 1=Re. 0.152 as also the additional charge of 5 per cent of the amount so arrived at together with interest thereon from the date of payment to the suppliers to the date of deposit of the amount into Government Account is deposited before releasing the original documents to the Importer.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1971

विषय .—बेल्जियन सरकार ऋण 1971–72 के अन्तर्गत आयात के लिए लाइसेन्स दिए जाने से सम्बन्धित शर्तें ।

संख्या 159-आई० टी० सं० (पं० एन०)/71.—बेल्जियन सरकार ऋण—1971–72 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आयात के लिए लाइसेंस दिए जाने से सम्बन्धित शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई, हैं उन्हें व्यापारियों की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है ।

परिशिष्ट 1

बेल्जियन सरकार ऋण, 1971/72 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के प्रयोजन के लिए लाइसेंस दिए जाने से सम्बन्धित शर्तें ।

लाइसेंस 12 महीनों की वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा किन्तु फर्म आदेश लागत बीमा भाड़ा / लागत भाड़ा के आधार पर अवश्य दे दिए जाने चाहिए और उनकी प्रतियां वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग को आयात लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से चार माह के भीतर भेज दिया जाना चाहिए । उन मामलों में जहां आदेश चार माह की अवधि के भीतर नहीं दिए गये हैं, तो आदेश दिए जाने में जिस कारण से देर हुई है, उसका पर्याप्त औचित्य देते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पास आदेश देने की अवधि में उपयुक्त वृद्धि के लिए आवेदन करना चाहिए । इस प्रकार के आवेदनों पर विचार वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) से परामर्श लेकर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा । लेकिन, 31 दिसम्बर, 1972 के परे किसी भी आयात लाइसेंस को वैध या पुनर्वैध नहीं किया जाएगा । लाइसेंस संख्या के बाद प्रथम और द्वितीय प्रत्यय में लाइसेंस कोड 'एस' और 'बी ई' का संकेत होना चाहिए । रुपये जमा करते समय भारतीय बैंक को भेजने के लिए सभी पोत लदान प्रलेखों में सही लाइसेंस कोड के साथ साथ -'एस' प्रपत्र का भी प्रयोग किया जाना चाहिए ।

2. इस ऋण के अन्तर्गत केवल बेल्जियन मूल के माल ही अर्थयुक्त किए जाने योग्य हैं ।

3. लाइसेंस भारत से प्रेषण के लिए वैध नहीं होगा । बेल्जियन संभरकों को भुगतान केवल नीचे की कंडिका 6–10 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है ।

4. भारतीय आयातक और बेल्जियन संभरक के बीच संभरक की संविदा में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि आयात इन लाइसेंस शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेल्जियम सरकार ऋण से अर्थयुक्त किए जाएं और इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि यह भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। संभरकों को इस शर्त की सूचना देते समय आयातकों को विशेष ध्यान देना चाहिए और संभरण-संविदा में इस सम्बन्ध में एक धारा भी शामिल कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित आदेश वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग की बिना पूर्व सहमति लिए रद्द नहीं किए जाने चाहिए।

विशेष ध्यान दीजिए :—1971/72 के लिए भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के बीच ऋण करार से पहले जो लाइसेंस जारी किए गये हैं और हस्ताक्षरित हैं, वे निम्नलिखित आगे की शर्तों के अधीन होंगे :—

(क) प्रत्याशित बेल्जियम ऋण के लिए भारतीय आयातक और बेल्जियम निर्यातक के बीच की सविदा भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) भारतीय आयातकों और बेल्जियम निर्यातकों के बीच की प्रत्याशित ऋण के लिए सविदाओं को अन्तिम रूप में समझा जाएगा और इन्हें केवल तब अन्तिम समझा जाएगा जब ऋण करार पर वास्तव रूप में हस्ताक्षर कर दिया जाता है ;

(ग) जैसे ही सविदाएं हस्ताक्षरित कर दी जाएंगी, प्रत्येक सविदा की एक एक प्रति भारत सरकार द्वारा बेल्जियम सरकार के वैदेशिक कार्य और विदेशी व्यापार मंत्रालय को भेजी जाएगी, और

(घ) उक्त सविदाओं के लिए भुगतान सामान्यतः ऋण करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ही किया जाएगा और आवश्यक निधियां भारत सरकार के लेखे में बेल्जियम के राष्ट्रीय बैंक में जमा की जाती हैं।

5. सविदा मूल्य को बेल्जियम फ्रैंक में व्यक्त किया जाना चाहिए। पोत लदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर संविदा में सामान्यतः बेल्जियम सरकार ऋण से नकद भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। किसी प्रथागत गारन्टी निष्पादन के लिए संभरक को बैंक गारन्टी भेजने के लिए कहा जा सकता है।

6. सविदाओं के सम्पन्न होने के शीघ्र बाद ही आयातकों को चाहिए कि वे वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग, डब्लू, ई-3 अनभाग को बेल्जियम संभरकों को भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन के साथ इसके अन्तर्गत कडिका 8 में मांगें गए के अनुसार

संविदा / संभरण आदेश और बैंक गारंटी की चार फोटो स्टेट/प्रमाणित प्रतियां भेजनी चाहिए। संविदा/संभरण आदेश के साथ निम्नलिखित सूचना भी अर्थ कार्य विभाग को भेजनी चाहिएं :—

(1) आयात लाइसेंस का ब्योरा :—

(क) संख्या ——————————

(ख) जारी करने की तारीख ——————————

(ग) मूल्य ——————————

(2) आयातक का नाम और पता ——————————

(3) बेल्जियम संभरक का नाम और पता ——————————

(4) बेल्जियम फ्रैंक में संविदा/आदेश स० ——————————

(5) आयातित किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ——————————

(6) माल छुड़ाई के लिए अवधि (संभरकों को भुगतान करने की संभावित तारीख और धनराशि का संकेत करने वाली एक अनुसूची भी दी जानी चाहिए)।

(7) प्रत्येक प्रलेख की अपेक्षित प्रतियों के साथ पोतलदान का विस्तृत विवरण जैसे लदान पत्र, बीजक, उद्गम का प्रमाण आदि की सूची जिसकी मांग भगतान करने से पहले बेल्जियम सरकार की राष्ट्रीय बैंक को संभरकों से करनी चाहिए।

(8) संविदा में शामिल किया गया भारतीय संभरक का यदि कोई कमीशन हो (उसकी धन राशि या प्रतिशत का संकेत किया जाना चाहिए)।

(9) विशेष अनुदेश यदि कोई हो.....

7. संविदा/संभरण आदेश की प्रति की प्राप्ति के बाद उपर्युक्त कंडिका 6 में अपेक्षित बैंक गारंटी और सूचना को अर्थ कार्य विभाग बेल्जियम सरकार के विदेशी कार्य और विदेश व्यापार मंत्रालय को भारत स्थित उपयुक्त लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख के साथ संविदा की प्रति अग्रसारित करेगा और पोतलदान प्रलेखों के विपरीत संभरकों को भुगतान के लिए बेल्जियम अनुबन्ध 1 के रूप में, राष्ट्रीय बैंक को प्राधिकृत करते हुए प्राधिकरण पत्र भी जारी करेगा। सभी प्रकार के भगतानों को 31 दिसम्बर, 1972 तक पूरा किया जाएगा और इस तारीख के बाद किसी भी प्रकार के भुगतान को प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।

8. आयातकों को निम्नलिखित जमा करने पड़ेंगे :—

(1) बेल्जियम फ्रैंक में संभरकों को किए गए भुगतान का समतुल्य रुपये जो वर्तमान मिली जुली दर बेल्जियम एक फ्रैंक-0.152 भारतीय रुपया है। विनिमय की किसी मिली जुली दर में जब और जैसे भी कोई परिवर्तन होगा अर्थ कार्य विभाग द्वारा आयातकों/उनके बैंकरों को परामर्श दिया जाएगा ;

(2) आनुषंगिक और सिपुर्दगी खर्चे को पूरा करने के लिए उपर्युक्त (1) का 5% निश्चित प्रभार देना पड़ेगा, और

(3) ऊपर की मद (1) और (2) में अपेक्षित जमा की जाने वाली धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा और यह जिस तारीख से बेल्जियम बैंक द्वारा सभरकों को वास्तव में भुगतान किया जाता है उस तारीख से लेकर आयातकों द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी या रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रुपये जमा करने की वास्तविक तारीख तक के लिए होगा ।

आयातकों को प्रपत्र अनुबन्ध (अनुबन्ध 2) में संलग्न अनुमोदित निर्धारित बैंक से प्राप्त एक बैंक गारंटी ऊपर की कडिका 7 में विशिष्टीकृत धनराशि को जमा करने के लिए सहमत होते हुए भेजना पड़ेगा । बैंक गारंटी के अन्तर्गत दिए गए फूट नोट को सख्ती के साथ पालन करने के लिए नोट कर लेना चाहिए ।

विशेष ध्यान दें :—आयातकों को यह बात जान लेनी चाहिए कि बेल्जियम सभरकों को भुगतान किए जाने के बाद बेल्जियम राष्ट्रीय बैंक उस बैंक प्रलेख को भेजेंगे जिस बक से आयातक गारंटी देंगे और यह कि वह बैंक प्रलेखों को मुक्त करने के लिए तब तक प्राधिकृत नहीं होगा जबतक उपर्युक्त संकेतित रुपये जमा नहीं कर दिए जाते ।

9. आयातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आवश्यक रु० को केवल विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से ही जमा करावें और सार्वजनिक सूचना सं० 184—आई० टी० सी० (पीन एन)/63, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में अपेक्षित उनके द्वारा पृष्ठांकित लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी प्राप्त करलें। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आवश्यक 'एस' प्रपत्र भी उन्हें भर देना चाहिए ।

10. ऊपर की कडिका 8 में विशिष्टीकृत धन को नीचे के लेखे शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा करने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली में जमा किया जाएगा :—

"टि—डिपाजिट्स एण्ड एडवांसेज—पार्ट 2/ डिपाजिट्स नाट बियरिंग इन्टरेस्ट—(सी) अदर डिपाजिट एकाउन्ट्स—डिपार्टमेंटल एण्ड जुडिशियल डिपाजिट्स, सिविल डिपाजिट्स—डिपाजिट्स फार परचेजेज एब्रोड—परचेजेज अण्डर क्रेडिट्स / लोन अग्रिमेंट्स—डिपाजिट्स फार कास्ट आफ एक्सपमेंट इ० टी० सी० आबटेंड अण्डर दी 6 बेल्जियम गवर्नमेंट क्रेडिट, 1971-73" ।

अनुबन्ध 1

सख्या

भारत सरकार

वित्त मत्रालय,

(अर्थ कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक ----------

सेवा में,

नेशनल, बैंक आफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स

भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के बीच करार

दिनांक ----------

.....के केडिट के लिए बेल्जियम फ्रैंक

प्राधिकार पत्र संख्या

उपर्युक्त क्रेडिट करार की शर्तों के अनुसार हम लोग इसके द्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि बी० एफ० की धनराशि ----------(बेल्जियम फ्रैंक----------(शब्दों में) ----- को (संभरक / संभरकों के बैंक का नाम, जब भुगतान किया जाने वाला है तब धनराशि के साथ संभरकों के बैंकों का नम्बर).....निम्नलिखित प्रलेखों की सुपुर्दगी के लिए अपरिवर्तनीय रूप से भुगतान करें :—

बीजक —प्रतियां

लदान पत्र (पूर्ण विवरण के साथ)—प्रतियां

बीमा पालिसी, आदि कोई हो, आदि—प्रतियां जिसमें बीजक का मूल्य सख्या

दिनांक ----------भी शामिल हो।

(---------- भारतीय संभरक) के साथ ----------का संभरक के लिए संविदा संख्या ----------दिनांक----------के सम्बन्ध में

(फोटो स्टट कापी संलग्न है)

2. भुगतान के बाद उपर्युक्त प्रलेखों का मूल सेट (दो/तीन प्रतियों आदि में) को कृपया सीधे ही (भारत में आयातकों के बैंकों) को अग्रसारित करें ।

3. चुकाई गई धनराशि को कृपया ऊपर उल्लिखित क्रेडिट करार के रूप में खोले गये खाते हमारे खाते पी संख्या के नामे और आवश्यक नामे परामर्श (दो प्रतियों) जो वित्त मंत्रालय अर्थ कार्य विभाग , आर्थिक सहायता (लेखा) शाखा, नई दिल्ली को इस प्राधिकार पत्र की संख्या को विनिर्दिष्ट संकेतित करते हुए भेजा गया था, में डालें ।

4. यह प्राधिकरण दिनांक ————वर्ष————तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

(ओहदा)

प्रति इनको प्रेषित————(आयातक का बैंक)/उन्हें इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि समतुल्य रुपया जिसका परिकलन मिली जुली मिश्रित दर पर किया गया है जो चालू रूप में बी.ए फ०-0.152 रुपये था और इस प्रकार की जो धनराशि आई थी उसका 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भी इसके साथ ही साथ संभरकों को जिस तारीख को भुगतान किया गया है उस तारीख से लेकर सरकार के खाते में जमा की गई धनराशि की तारीख तक के लिए उस पर ब्याज भी आयातक को मूल प्रलेखों को देने से पूर्व जमा करा लिया गया है ।

अनुबन्ध 2

गारन्टी बॉंड

(बेल्जियम सरकार क्रेडिट, 1971/72 के अन्तर्गत माल का आयात कराने के लिए प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिया जाना है)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले में (जिसे आगे 'सरकार' कहा गया) बेल्जियम क्रेडिट 1971/72 की शर्तों के अन्तर्गत ————को (इस के बाद आयातक कहा गया) उपर्युक्त करार के लिए आयातक के नाम में जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या ——दिनांक——के अनुसरण में—— के आयात के लिए बेल्जियम बैंक में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम—— बैंक——आयातक के अनुरोध पर नेशनल बैंक आफ बेल्जियम द्वारा चुकाई गई धनराशि को जो विनिमय की मिली जुली परिवर्तित दर पर जो चालू रूप में बेल्जियम फ्रेंक– 0.152 रुपया है, भुगतान की सूचना की पावती के 10 दिन के भीतर विधि के अनुसार और उपर्युक्त लेखा शीर्ष के विपरीत जैसा कि भारत सरकार उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत संकेतित है, सरकार लेखा में क्रेडिट के लिए जमा करने की व्यवस्था करने की एतद्द्वारा वचन देते हैं साथ ही आनुषंगिक और वचन बद्धता प्रभारों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त जमा के 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभारों और संभरकों को भुगतान की गई धनराशि पर 6 रुपये प्रति सैकड़े वार्षिक ब्याज तथा सरकारी लेखा में क्रेडिट के लिए बेल्जियम संभरक को भुगतान की तारीख से समतुल्य रुपये के भुगतान की तारीख तक के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भी जमा करने का वचन देते हैं। नेशनल बैंक आफ बेल्जियम से प्राप्त आयात प्रलेखों में परक्राम्य सेट को आयातक को केवल ऊपर के अपेक्षित रुपये जमा कर दिया गया है, उसके बाद ही लौटाया जाएगा।

2. हम————(बैंक), किसी प्रकार की बाकी धनराशि को जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकाने योग्य हो जैसा कि ऊपर सरकार समय समय पर निदेश दे तो ऐसी धनराशि जो————रुपये से अधिक नहीं हो या उसका कोई भाग जो थोड़े समय के लिए बाकी रह गया है और आयातक द्वारा देय है और इसके साथ ही आनुषंगिक और वचन बद्धता प्रभारों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त जमा के 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) का निश्चित अतिरिक्त प्रभारों को आयातक द्वारा भुगतान करने में त्रुटि पाई जाने पर हम क्षति पूर्ति करने का तथा सरकार को क्षति पूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने के लिए भी वचन देते हैं। आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उसकी तरफ से हमारे बैंक द्वारा देय धनराशि के संबंध में कोई त्रुटि होने पर हमारे————बैंक के लिए सरकार का निर्णय अन्तिम और अतिवार्य होगा।

3. हम————बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि यदि उपर्युक्त उल्लिखित कंडिका 1 में मुद्रा विनिमय की मिली जुली दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आयात के मूल्य में वृद्धि या संविदा के अन्तर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य में वृद्धि होती है, तो इस गारन्टी बॉंड की धनराशि का समायोजन उस तिथि से तथा उसी अनुपात में कर दिया जाएगा, जब से यह परिवर्तन लागू होगा।

4. हम ——————बैंक, आगे इस बात पर भी सहमत हैं कि जो गारन्टी यहां अन्तर्विष्ट है उक्त करार/संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारन्टी के अधीन या इसकी हैसियत से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया चुका नहीं दी जाएगी और इसके दावों की संतुष्टि नहीं हो जाएगी या अदायगी नहीं कर दी जाएगी तब तक यह पूर्णरूपेण लागू और प्रभावी रहेगी ।

5. जो गारन्टी यहां अन्तर्विष्ट है, उस पर आयातक या————बैंक के संविधान में किसी प्रकार के परिवर्तन का इस गारन्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को इस गारन्टी को प्रभावित किए बिना अपने द्वारा आयातक के विरुद्ध किसी समय या समय-समय पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की और किसी ऐसी धनराशि का भुगतान जो इस गारन्टी द्वारा आयातक से किया जाता है ; आयातक पर लागू करने की स्वतन्त्रता होगी और पूर्वोक्त मामले के संदर्भ में आयातक को दिए जाने वाले समय के कारण या सरकार की ओर इसके द्वारा अनुग्रह पूर्वक आयातक के कोई अन्य धैर्य, कार्य या छूट या कोई मामला या वस्तु जो कानून में जमानतों से संबंद्ध कुछ भी हो, इस गारन्टी के अन्तर्गत सरकार की यह स्वतन्त्रता————बैंक को इसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी, किन्तु इस व्यवस्था के लिए——————बैंक को इसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिए प्रभाव डालेगी ।

6. हम——————बैंक यह वचन देते हैं कि सरकार की लिखित रूप में पूर्व सम्मति के बिना इस गारन्टी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

7. इस गारन्टी के अन्तर्गत हमारा दायित्व————रुपये (जिस पर ब्याज और कमीशन प्रभार यदि कोई हो, जिसकी उम्मीद दी गई गारन्टी की धनराशि के एक प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिबन्धित है और यह गारंटी ——————दिन——————(मास) ——————19——————तक लागू रहेगी जब तक इस तिथि से 6 मास के भीतर इस गारन्टी के अन्तर्गत दावे लिखित रूप में पूरे नहीं किए जाते और जब तक अगले छह मास के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता या कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाती । उसके बाद अर्थात्,————तक इस गारन्टी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार अप्रवर्तित हो जाएंगे और हमें इस गारन्टी के अन्तर्गत अपने दायित्वों से स्वतन्त्रता और मुक्ति मिल जाएगी ।

——————दिन का दिनांक——————

कृते——————————बैंक

श्री——————————के द्वारा

(नाम और ओहदा)

भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से स्वीकृत

हस्ताक्षर——————————

*जिस तिथि को संभरकों के लिए सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की संभावना है, यह तिथि उसमें एक माह जोड़ते हुए निश्चित की जाएगी ।

टिप्पणी :—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारन्टी कार्यन्वित होने वाली है, उसे कलक्टर के द्वारा न्याय निर्मित किया जाता है ।

परिशिष्ट 3

बेल्जियम सरकार ऋण, 1971/72 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयात के लिए लाइसेंस दिए जाने से संबंधित शर्तें ।

लाइसेंस 12 महीनें की वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा किन्तु फर्म आदेश लागत बीमा भाड़ा लागत भाड़ा के आधार पर अवश्य दे दिए जाने चाहिए और उनकी प्रतियां वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग को आयात लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से चार माह के भीतर भेज दिया जाना चाहिए । उन मामलों में जहां आदेश चार माह की अवधि के भीतर नहीं दिए गए हैं, तो आदेश दिए जाने में जिस कारण से देर हुई है, उसका पर्याप्त औचित्य देते हुए मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के पास आदेश देने की अवधि में उपयुक्त वृद्धि के लिए आवेदन करना चाहिए । इस प्रकार के आवेदनों पर विचार वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) से परामर्श लेकर मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा । लेकिन, 31 दिसम्बर, 1972 के परे किसी भी आयात लाइसेंस को वैध या पुनर्वैध नहीं किया जाएगा । लाइसेंस संख्या के बाद प्रथम और द्वितीय प्रत्यय में लाइसेंस कोड 'एस' और 'बीई' का संकेत होना चाहिए । रुपये जमा करते समय भारतीय बैंक को भेजने के लिए सभी पोत लदान प्रलेखों में सही लाइसेंस कोड के साथ 'एस' प्रपत्र का भी प्रयोग किया जाना चाहिए ।

2. इस ऋण के अन्तर्गत केवल बेल्जियम मूल के माल ही अर्थयुक्त किए जाने योग्य हैं ।

3. लाइसेंस भारत से प्रेषण के लिए वैध नहीं होगा । बेल्जियम संभरकों को भुगतान केवल नीचे की कंडिका 6–10 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है ।

4. भारतीय आयातक और बेल्जियम संभरक के बीच संभरक की संविदा में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि आयात इन लाइसेंस शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेल्जियम सरकार ऋण से अर्थयुक्त किए जाएं और इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि यह भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है । संभरकों को इस शर्त की सूचना देते समय आयातकों को विशेष ध्यान देना चाहिए और संभरण संविदा में इस संबंध में एक धारा भी शामिल कर लेना चाहिए । इसके अतिरिक्त, अनुमोदित आदेश वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग की बिना पूर्व सहमति लिए रद्द नहीं किये जाने चाहिए ।

विशेष ध्यान दीजिए :—1971/72 के लिए भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के बीच ऋण करार में पड़ने जो लाइसेंस जारी किए गए हैं और हस्ताक्षरित हैं, वे निम्नलिखित आगे की शर्तों के अधीन होंगे :—

(क) प्रत्याशित बेल्जियम ऋण के लिए भारतीय आयातक और बेल्जियम निर्यातक के बीच की संविदा भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(ख) भारतीय आयातकों और बेल्जियम निर्यातकों के बीच की प्रत्याशित ऋण के लिए संविदाओं को अन्तिम रूप में समझा जाएगा और इसे केवल तब अन्तिम समझा जायेगा जब ऋण करार पर वास्तव रूप में हस्ताक्षर कर दिया जाता है ।

(ग) जैसे ही संविदाएं हस्ताक्षरित कर दी जाएंगी, प्रत्येक संविदा की एक एक प्रति भारत सरकार द्वारा बेल्जियम सरकार के वैदेशिक कार्य और विदेशी व्यापार मंत्रालय को भेजी जाएगी, और

(घ) उक्त संविदाओं के लिए भुगतान सामान्यतः ऋण करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ही किया जाएगा और आवश्यक निधियां भारत सरकार के लेखे में बेल्जियम के राष्ट्रीय बैंक में जमा की जाती हैं ।

5. संविदा मूल्य को बेल्जियम फ्रेंक में व्यक्त किया जाना चाहिए। पोत लदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर संविदा में सामान्यतः बेल्जियम सरकार ऋण से नकद भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। किसी प्रथागत गारंटी निष्पादन के लिए संभरक को बैंक गारंटी भेजने के लिए कहा जा सकता है ।

6. संविदाओं के सम्पन्न होने के शीघ्र बाद ही आयातकों को चाहिए कि वे वित्त मन्त्रालय अर्थ कार्य विभाग, डब्लू ई-3 अनुभाग को बेल्जियम संभरकों को भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें। इस आवेदन के साथ संभरण आदेश की चार फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां भेजनी चाहिए। संविदा / संभरण आदेश के साथ निम्नलिखित सूचना भी अर्थ कार्य विभाग को भेजनी चाहिए :—

(1) आयात लाइसेंस का ब्यौरा:—

(क) संख्या————————————————

(ख) जारी करने की तारीख————————————

(ग) मूल्य————————————————

(2) आयातक का नाम और पता ————————————

(3) बेल्जियम संभरक का नाम और पता ————————————

(4) बेल्जियम फ्रैंक में संविदा / आदेश सं०————————————

(5) आयातित किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण————————————

(6) माल छुड़ाई के लिए अवधि (संभरकों को भुगतान करने की संभावित तारीख और धनराशि, का संकेत करने वाली एक अनुसूची भी दी जानी चाहिए) ।

(7) प्रत्येक प्रलेख की अपेक्षित प्रतियों के साथ पोतलदान का विस्तृत विवरण जैसे लदान पत्र बीजक, उद्गम का प्रमाण आदि की सूची जिसको मांग भुगतान से पहले बेल्जियम सरकार की राष्ट्रीय बैंक को संभरकों से करनी चाहिए ।

(8) संविदा में शामिल किया गया भारतीय संभरक का यदि कोई कमीशन हो (उसकी धनराशि या प्रतिशत का संकेत किया जाना चाहिए) ।

(9) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की उस शाखा का नाम जिसे बेल्जियम नेशनल बैंक द्वारा मूल दस्तावेज (पराक्रामय) भेजे जाने चाहिए ।

(10) किस तारीख तक बेल्जियम बैंक के लिए प्राधिकार पत्र वैध की जानी चाहिए ।

(11) विशेष अनुदेश यदि कोई हो ।

7. संविदा / संभरण आदेश की प्रतियों और उपर्युक्त कंडिका 6 में अपेक्षित सूचना की प्राप्ति के बाद अर्थकार्य विभाग, बेल्जियम सरकार के विदेशी कार्य और विदेश व्यापार मंत्रालय को भारत स्थित उपर्युक्त लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख और संभरण किए जाने वाले माल के विवरण के साथ संविदा की एक प्रति अग्रसारित करेगा और पोतलदान प्रलेखों के विपरीत संभरकों को भुगतान के लिए बेल्जियम, राष्ट्रीय बैंक को प्राधिकृत करते हुए प्राधिकरण पत्र (अनुबन्ध । के रूप में) भी जारी करेगा । सभी प्रकार के भुगतानों को 31 दिसम्बर, 1972 तक पूरा किया जाएगा और इस तारीख के बाद किसी भी प्रकार के भुगतान को प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।

8. आयातकों को निम्नलिखित जमा करने पड़ेंगे :—

(1) बेल्जियम फ्रैंक में संभरकों को किए गए भुगतान का समतुल्य रुपये जो वर्तमान मिली जुली दर बेल्जियम एक फ्रैंक=0.152 भारतीय रुपया है । मिली जुली दर में जब और जैसे कोई परिवर्तन होगा अर्थकार्य विभाग द्वारा आयातकों / उनके बैंकरों को सूचना दे दी जाएगी, (2) आनुषंगिक और सिपुर्दगी खर्चे को पूरा करने के लिए उपर्युक्त (1) का 5 प्रतिशत निश्चित प्रभार देना पड़ेगा और

(2) ऊपर की मद (1) और (2) में अपेक्षित जमा की जाने वाली धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा और यह जिस तारीख से बेल्जियम राष्ट्रीय बैंक द्वारा संभरकों को वास्तव में भुगतान किया जाता है उस तारीख से लेकर आयातकों द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी या रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रुपये जमा करने की वास्तविक तारीख तक के लिए होगा विशेष ध्यान दें :— आयातकों को यह बात जान लेनी चाहिए कि बेल्जियम संभरकों को भुगतान किए जाने के बाद बेल्जियम राष्ट्रीय बैंक उस बैंक प्रलेख को भेजेगे जिस बैंक से आयातक बैंक गारन्टी देंगे और यह कि वह बैंक मांगों को पूरा कराने के लिए तब तक प्राधिकृत नहीं होगा जब तक उपर्युक्त संकेतित रुपये जमा नहीं कर दिए जाते ।

9. आयातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आवश्यक रु० को केवल विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से ही जमा करावें और सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई० टी० सी० (पी० एन०) / 68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में अपेक्षित उनके द्वारा पृष्ठांकित लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी प्राप्त कर लें । रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आवश्यक 'एस' प्रपत्र भी उन्हें भर देना चाहिए ।

10. ऊपर को कंडिका 8 में विनिष्टिष्ट धन का नावे के लेखा शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाएगा :—

"टि-डिपाजिट्स एंड एडवांसेज-पार्ट 2/डिपाजिट्स नाट बियरिंग इन्टरेस्ट - (सी) अदर डिपाजिट एकाउन्ट्स एंड जूडिशियल डिपाजिट्स, सिविल डिपाजिट्स—डिपाजिट्स फार परचेजेज एण्ड- परचेजेज अन्डर क्रेडिट्स/लोन अग्रिमेंट्स - डिपाजिट्स फार कास्ट आफ एक्यूपमेंट ई०टी० सी० आब्- टर्न्ड अन्डर दी 6 बेल्जियम गवर्नमेंट क्रेडिट , 1971-72 " ।

उपर्युक्त डिपोजिट्स की सूचना, नियंत्रक सहायता लेखा, वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, आर्थिक सहायता (लेखा) शाखा, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

1 केन्द्रीय / राज्य सरकार और राज्य विद्युतबोर्ड के विभागों द्वारा आयात के मामले में महा लेखा पाल केन्द्रीय राजस्व द्वारा , अर्थकार्य विभाग आर्थिक सहायता लेखा शाखा द्वारा जारी किए गए परामर्शों के आधार पर संबंधित लेखाधिकारी के विपरीत समतुल्य रुपये के लिए विकलन वसूल किए जाएंगे ।

अनुबंध 1

संख्या————

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(अर्थकार्य विभाग) नई दिल्ली, दिनांक ————————

सेवा में,

नेशनल बैंक आफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स

भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के बीच करार

दिनांक————————

————————————के क्रेडिट के लिए बेल्जियम फ्रैंक

प्राधिकार पत्र संख्या ————

————————————

उपर्युक्त क्रेडिट करार की शर्तों के अनुसार हम लोग इसके द्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि बी० एफ० की धनराशि————[बेल्जियम फ्रैंक————(शब्दों में)————— को (संभरक/संभरकों के बैंक का नाम, जब भुगतान किया जाने वाला है तब धनराशि के साथ संभरकों के बैंकों का नम्बर)————————निम्नलिखित प्रलेखों की सुपुर्दगी के लिए अपरिवर्तनीय रूप से भुगतान कर दें :—

बीजक प्रतियां

लदान पत्र (पूर्ण विवरण के साथ) —प्रतियां

बीमा पालिसी, यदि कोई हो, आदि प्रतियां, जिसमें बीजक का मूल्य————संख्या————— दिनांक ————भी शामिल हो ।

————————भारतीय संभरक] के साथ ————————————का

संभरक के लिए संविदा संख्या ————————दिनांक————————के संबंध में (फोटो स्टेट कापी संलग्न है ।)

2. भुगतान के बाद उपर्युक्त प्रलेखों का मूल सेट (दो / तीन प्रतियों आदि में) को कृपया सीधे ही (भारत में आयातकों के बैंकों) को अग्रसारित करें ।

3. चुकाई गई धनराशि को कृपया ऊपर उल्लिखित क्रेडिट करार के रूप में खोले गए खातें हमारे खातें पी संख्या————के नामे और आवश्यक नामे परामर्श (दो प्रतियों) जो वित्त मन्त्रालय, अर्थ कार्य विभाग, आर्थिक सहायता (लेखा) शाखा, नई दिल्ली को इस प्राधिकार पत्र की संख्या को विधिवत संकेतित करते हुए भेजा गया था, में डालें ।

4. यह प्राधिकरण दिनांक ————————वर्ष————————तक वैध रहेगा ।

भवदीय

(ओहदा)

प्रति - स्टेट बैंक आफ इंडिया को प्रेषित ————। उन्हें इसका सुनिश्चिय कर लेना चाहिए कि समतुल्य रूपया जिसका परिकलन मिली जुली क्रयण दर पर किया गया है जो चालू रूप में बी० एफ०=0.152 रुपये था और इस प्रकार की जो धनराशि आई थी उसका 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भी इसके साथ ही साथ संभरकों को जिस तारीख को भुगतान किया गया है उस तारीख से लेकर सरकार के खाते में जमा की गई धनराशि की तारीख तक के लिए उस पर ब्याज भी आयातक को मूल प्रलेखों को देने से पूर्व जमा करा लिया गया है।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971